उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद सं० – 06/2023

सोमेन दास गुप्ता बनाम् बिनोद गोप वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
16/01/24		

यह वाद अपीलार्थी सोमेन दास गुप्ता, पिता–स्व० मनोरंजन दास गुप्ता, ग्राम–बुजुर्ग जमीरा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–77/2021–22 बिनोद गोप बनाम् सोमेन दास गुप्ता वगै० में दिनांक–08.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–391, रकवा–0.13 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–391, रकवा–0.35 ए० भूमि सर्वे खतियान में चितरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं मनोरंजन दास गुप्ता पिता–बिपिन बिहारी दास गुप्ता के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–391, रकवा–0.35 ए० भूमि सर्वे खतियान में चितरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं मनोरंजन दास गुप्ता पिता–बिपिन बिहारी दास गुप्ता के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता की आविवाहित रहते हुए ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार खाता संख्या–118 की पुरी भूमि मनोरंजन दास गुप्ता की हो गई। मनोरंजन दास गुप्ता के मृत्यु के पश्चात् उनके एकलोते पुत्र सोमेन दास गुप्ता एवं दो पुत्री रैवा दास गुप्ता एवं श्यामली दास गुप्ता को सारी सम्पति प्राप्त हो गई। विपक्षी क्रमाक–01 ने प्लॉट नं०–391 का 13 डी० भूमि रूपाली दास गुप्ता एवं

कनन बाला दास गुप्ता जो मनोरंजन दास गुप्ता की बहने है, से दिनांक–26.06.2007 को भूमि निबंधित करा लिये। निबंधन के पश्चात विपक्षी ने अंचल अधिकारी, पतरातू के कार्यालय में दाखिल खारिज वाद संख्या–192/2016–17 दायर किये जिसे अस्वीकृत किया गया। विपक्षी पुनः दाखिल खारिज वाद संख्या–13/2020–21 दायर किये जिसे अंचल अधिकारी, पतरातू ने पुनः खारिज कर दिये। विपक्षी के द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–77/2021–22 दायर किये। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा बिना किसी को नोटिस किये एवं बिना किसी Fact के दाखिल खारिज अपील स्वीकृत किया गया, जो नियमसंगत नहीं है। क्योंकि रूपाली दास गुप्ता एवं कनन बाला दास गुप्ता को भूमि बिक्री करने का अधिकार नहीं है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–391, रकवा–0.35 ए० भूमि सर्वे खतियान में चितरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं मनोरंजन दास गुप्ता पिता–बिपिन बिहारी दास गुप्ता के नाम से दर्ज है। बिपिन बिहारी दास गुप्ता के तीन पुत्र चितरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं मनोरंजन दास गुप्ता एवं तीन पुत्रियों रूपाली दास गुप्ता, कनन बाला दास गुप्ता एवं सेफाली दास गुप्ता थी। तीनों पुत्रियों हमेशा से ग्राम–बुजुर्ग जमीरा में रह कर खाता नं०–118 की भूमि का देखभाल करती रही हूँ। क्योंकि उनके तीनो भाई हमेशा बाहर रहे है। रूपाली दास गुप्ता एवं कनन बाला दास गुप्ता, पिता–स्व० बिपिन बिहारी दास गुप्ता ने मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–391, रकवा–0.13 ए० भूमि निबंधित केवाला संख्या–2225, दिनांक–26.06.2007 से उचित मूल्य प्राप्त कर बिनोद गोप को भूमि बिक्री कर दिये। क्रेता भूमि पर कबिज मकान बना कर परिवार के साथ निवास करने लगे। क्रेता अंचल कार्यालय, पतरातू ने दाखिल खारिज हेतु वाद संख्या–13R27/2021-22 दायर किये तो अंचल अधिकारी, पतरातू ने खतियानी रैयत के आपत्ति एवं पूर्व में दाखिल खारिज वाद संख्या–192/2018–19 अस्वीकृत किये जाने के कारण बताते हुए आवेदन पुनः अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि खतियानी रैयत के एक मात्र पुत्र सोमेन दास गुप्ता ने निबंधित कबुलनामा संख्या–709, दिनांक–27.12.2008 के द्वारा क्रेता के पक्ष में कबुल किये है कि उन्हें प्रश्नगत भूमि के बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त जमीन का पैसा पा चूके है एवं कबुल करते है कि जो केवाला बिनोद गोप कराए है वह दस्तावेज सही है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किये है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के वंशजों के द्वारा बिक्री की गई है एवं रिवीनजकर्ता का निबंधित कबुलनामा दिया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा, थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–391, रकवा–0.35 ए० भूमि सर्वे खतियान में चितरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं मनोरंजन दास गुप्ता पिता–बिपिन बिहारी दास गुप्ता के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि बेचने का अधिकार बिक्रेता को नहीं है। साथ ही साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया है, वह नियमसंगत नहीं है। जबकि विपक्षी का कहना है कि रिवीजनकर्ता के द्वारा निबंधित कबुलनामा संख्या–709, दिनांक–27.12.2008 के द्वारा उक्त बिक्री को कबुल किया गया है। अपीलार्थी ने कभी भी कबुलनामा की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया है। अभिलेख में संलग्न अंचल अमीन, पतरातू द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातू को दिये गये जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में स्थल निरीक्षण से पता चलता है कि वर्णित भूमि बिनोद गोप का पक्का मकान एवं गाय–भैस बाँधने हेतु गोहाला बना हुआ है। जो बिनोद गोप का दखल में है। अरूण साव इसी भूमि पर दावा करते है। जिसे अंचल अधिकारी, पतरातू ने ऑनलाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–382/ R27/2022-23 एवं ऑफलाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–58/2022 द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–77/2021–22 बिनोद गोप बनाम् सोमेन दास गुप्ता वगै० में दिनांक–08.04.2022 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 16/01/24

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 16:09:06 +05:30
Location: 192.168.0.32

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 16/01/24

उपायुक्त,
रामगढ़।